राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक,आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः प.1/प्रति–3/न.क./नियु./न्याय/2018/ 8775 दिनांकः 4-6-18

आ दे श

आयुर्वेद विभाग द्वारा कनिष्ठ नर्स–कम्पाउण्डर पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1996 एवं 1997 में विज्ञप्ति पत्र क्रमांक 23793 दिनांक 01.05.1996 एवं 32321 दिनांक 02.08.1997 द्वारा जारी की गई। पूर्व प्रसारित राज्यादेश दिनांक 16.11.1989 के अन्तर्गत इन विज्ञप्तियों के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों से बैच वर्ष वाईज मेरिट लिस्ट बनाई गई, जिसके अनुसार विभाग द्वारा वर्ष 1993 तक के सामान्य संवर्ग के आशार्थियों में से विज्ञापित पद भरने तक के आशार्थियों को नियुक्ति दी गई। श्री प्रमोदकुमार शर्मा पुत्र श्री रामोतार शर्मा का बैच वर्ष 1993 होने से नियोजन सीमा में नहीं आ सकने के कारण नियुक्ति नहीं किये जा सके।

उल्लिखित नियोजन प्रक्रिया में नियुक्ति नहीं हो सकने के कारण अन्य आशार्थी श्री अशोक कमार शर्मा ने एक वाद संख्या 4131/99 एवं श्री रामचरण यादव ने वाद संख्या 6797/99 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये,जिसके संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.01 एवं 16.10.2000 को सामान्य मैरिट सूची बनाने के निर्देश दिये। माननीय न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना में सामान्य योग्यता सूची बनाई गई एवं विभिन्न न्यायिक प्रकरणों मेंमें इस सूची के आधार पर संबंधित आशार्थियों की पात्रता का परीक्षण किया गया।

एस.बी. सिविल रिट संख्या 3768/2008 श्री प्रमोदकुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिनांक 23.01.2018 को निर्देश दिया कि वादी को आयुर्वेद नर्स–कम्पाउण्डर के पद पर नियमानुसार नियुक्ति दी जावे।

एस.बी.सिविल रिट संख्या 3768/2008 श्री प्रमोदकुमार शर्मा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्थाई समिति द्वारा अपील दायर नहीं करने की अनुशषा की गई। उक्त अनुशंषा के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक प.11(7)आयु0/2018 दिनांक 04.06.2018 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार शर्मा को कनिष्ठ नर्स–कम्पाउण्डर पद पर नियुक्ति दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार से नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामोतार शर्मा को आयुर्वेद कनिष्ठ नर्स–क़म्पाउण्डर के पद पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 के निर्देशानुसार वेतन पे मेट्रिक्स एल–10 में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) पर मासिक नियम पारिश्रमिक (फिक्स रेमूनरेशन) रू0 23700/– (अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ मात्र) पर निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	नाम आशार्थी/पिता का नाम	जन्म दिनांक	योग्यता
1	श्री प्रमोद कुमार शर्मा / श्री रामोतार शर्मा	10.08.1972	आयुर्वेद नर्स–कम्पाउण्डर प्रशिक्षण (डिप्लोमा उतीर्ण)

नोटः–

1. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर–अन्दर अपनी उपस्थिति निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के कार्यालय में आवश्यक रूप से देंगे।

निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नही करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

2. निदेशालय में उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता से सबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/संतान संबंधी प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एव दहेज संबंधी प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
3. अभ्यर्थी उपस्थिति के समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह अपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा।
4. उक्त नियुक्ति आदेश में अंकित अभ्यर्थी यदि पूर्व से विभाग मं संविदा/अनुबन्ध/ ग्रामीण नर्स-कम्पाउण्डर के रूप में सेवाएं दे रहा है तो उक्त नियुक्ति आदेश के कम में ड्यूटी जोईन करने पर उनका संविदा/अनुबन्ध/ग्रामीण नर्स-कम्पा0 के पद के आदेश तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जावेगा।
5. विभागान्तर्गत ग्रामीण आयुर्वेद नर्स-कम्पा0 अथवा परिचारक के पद की सेवाओं के अतिरिक्त अन्यत्र सेवाएं दे रह कार्मिक को उक्त नियुक्ति आदेश के कम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपना त्याग पत्र स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।
6. उक्त नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।
7. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी को को वित्त विभग की अधिसूचना कमांक प.1(2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.14(1)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06. 2015 के अनुसरण में नियम पारिश्रमिक दिया जावेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक

कमांकः प.1/प्रति-3/न.क./नियु./न्याय/2018/8775 दिनांकः 5-6-18

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,राजस्थान-जयपुर
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक,आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
3. उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
4. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें
5. संबंधित अभ्यर्थी श्री प्रमोदकुमार शर्मा पुत्र श्री रामोतार शर्मा निवासी बरखेडा, तह0 मालाखेडा, जिला-अलवर
6. सामान्य पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(आयु.)